केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00063 दिनांक 11.01.2018

सेवा में,

श्री इन्द्र जुनेजा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 03.01.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 10.01.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 102220) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.01.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1	द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 2 एवं 3	प्रतिदिन कितनी द्वितीय अपीलें डायरी होती हैं या कितनी द्वितीय अपीलों पर सुनवाई होती है, इस संबंध में कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 4	द्वितीय अपीलों पर सुनवाई के प्रश्चात आदेश जारी होने पर प्रत्येक सूचना आयुक्तों की रजिस्ट्री की कोशिश होती है कि यथाशीघ्र आदेश की प्रति अपीलकर्ता एवं संबंधित जन सूचना अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए, यद्यपि इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 5	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम.आर.) द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 6	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वाई.ए.) कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

1	श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम.आर.)	बिंदु सं. 5	उक्त आवेदन दिनांक 11.01.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।
2	श्री आर.पी.ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त – वाई.ए. कार्यालय	बिंदु सं. 6	